

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ ( राज.)

मायु बनाम श्यामलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 06/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04/01/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती मायु</p> <p>पिता श्री देवा जी चमार</p> <p>निवासी- शशीया भंगरी तहसील, व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम शशीया भंगरी (प.ह. दालमपुर तह. वस्ती) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 22, 23/276, 30/277, 31/278, 32, 33</p> <p>कुल कीता 06 कुल रकबा 1.1000 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>शशीयाभंगरी (प.ह. दालमपुर तह. वस्ती)</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 22, 23/276, 30/277, 31/278, 32, 33</p> <p>कुल कीता 06 रकबा 1.1000 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000=1000 रुपये अक्षरे रु. 5.00 रु. 2500 प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>